उत्तराखण्ड वन विकास निगम

अल्पकालीन निविदा सूचना

इस कार्यालय की पत्र संख्या–ई0–616/निविदा, दिनांक 14.05.2026 के द्वारा प्रकाशित विज्ञप्ति उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2025 के अनुसार, समस्त मान्यता प्राप्त तथा निविदा शर्तों के अनुसार अर्हता पूर्ण करने वाले बाह्यसेवा प्रदाता एजेंसी/फर्मों/संस्थाओं से उत्तराखण्ड वन विकास निगम के प्रधान कार्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालय (टि0क्षे0), देहरादून में बाह्यसेवा के माध्यम से सेवाओं की अधिप्राप्ति के लिए सर्विस चार्ज की न्यूनतम दरों हेतु ''02 निविदा प्रणाली के अन्तर्गत'' पंजीकृत डाक से दिनांक 19.06.2026 के अपरान्ह् 04.00 बजे तक निविदा आमंत्रित की जाती है।

दिनांक 16.05.2026 से 16.06.2026 तक किसी भी कार्य दिवस एवं समय में (राजकीय अवकाश को छोड़ कर) निविदा प्रपत्र एवं शर्तें निर्धारित निविदा शुल्क जमा कर प्रधान कार्यालय, उत्तराखण्ड वन विकास निगम, देहरादून के कार्यालय से प्राप्त किये जा सकते हैं। निविद शर्तें उत्तराखण्ड वन विकास निगम की वेबसाइट (www.uafdc.in) पर देखी/ डाउनलोड की जा सकेंगी। निर्धारित तिथि के उपरान्त प्राप्त निविदाऐं स्वीकार नहीं की जायेंगी।

निर्धारित तिथि तक प्राप्त निविदायें दिनांक 20.06.2026 को अपरान्ह 03.00 बजे उपस्थित निविदादाताओं अथवा उनके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि के समक्ष उत्तराखण्ड वन विकास निगम कार्यालय में गठित समिति के द्वारा खोली जायेंगी।

क्षेत्रीय प्रबन्धक (मु0),
उत्तराखण्ड वन विकास निगम, देहरादून

उत्तराखण्ड वन विकास निगम टिहरी क्षेत्र एवं मुख्यालय में बाह्य सेवायोजक के माध्यम से नियोजित कार्मिकों का विवरणः–

तालिका–01

सेवा का विवरण	टिहरी क्षेत्र	मुख्यालय	कुल योग
कम्प्यूटर आपरेटर	20	17	37
तकनीकी सहायक	0	1	1
विद्युत तकनीशियन	0	1	1
फील्ड स हायक	43	0	43
कर्मकार	107	12	119
चालक	5	9	14
कुक, खलासी	11	3	14
सर्वर प्रशास	0	1	1
डाटा एन्ट्री आपरेटर	1	0	1
सफाई कर्मी	0	3	3
योग	**187**	**47**	**234**

कार्य प्रकृति एवं श्रेणीः–

तालिका–02

क्र0सं0	विवरण	श्रेणी	संख्या	कार्य प्रकृति
1	सफाई कर्मी	अकुशल	03	कार्यालय सफाई कार्य
2	फील्ड सहायक	कुशल	43	कार्यालय एवं फील्ड कार्यों में सहायता
	कर्मकार	अर्द्धकुशल	119	कार्यालय कार्यों में सहायता एवं सुरक्षा कार्य
	कुक, खलासी		14	फील्ड में खलासी कार्य
4	कम्प्यूटर ऑपरेटर	औसत कुशल/ 06 वर्ष से कम सेवा अनुभव	05	कम्प्यूटर टंकण कार्य
	चालक,		02	वाहन संचालन
5	**एन्ट्री आपरेटर**		01	खनन गेटों में कम्प्यूटर कार्य
6	कम्प्यूटर ऑपरेटर	उच्च कुशल/ 06 वर्ष से अधिक सेवा अनुभव	32	कम्प्यूटर टंकण कार्य
	तकनीकी सहायक,		01	मानचित्र सम्बन्धित कार्य
	विद्युत तकनीशियन,		01	कार्यालय में विद्युत से सम्बन्धित कार्य
	चालक		12	वाहन संचालन
7	सर्वर प्रशासक	–	01	खनन कार्यों हेतु के0एम0एस0 साफटवेयर कार्य
योगः–			234	

(उपरोक्त तालिका के 01 व 02 में उल्लेखित पदों की संख्या व श्रेणी अन्नतिम है, इसमें परिवर्तन किया जा सकता है)

1. **<u>निविदा पूर्व बैठकः</u>–** निविदादाताओं के सहूलियत के लिए अरण्य विकास भवन, 73, नेहरू रोड़, देहरादून के सभागार में दिनांक 29.05.2026 को अपरान्ह 03:00 बजे एक निविदा पूर्व बैठक का आयोजन किया जाएगा। इस बैठक में निविदा से सम्बन्धित किसी प्रकार की जानकारी/शंका आदि का समाधान किया जा सकेगा। इस बैठक से सम्बन्धित सूचना की तिथि उत्तराखण्ड वन विकास निगम **मुख्यालय के नोटिस बोर्ड/वेबसाईट पर प्रदर्शित की जायेगी।** इच्छुक निविदादाता अपनी शंकाओं के समाधान हेतु बैठक में प्रतिभाग करने के लिए आमंत्रित हैं।

निविदा की समय सारणीः-

क्र0सं0	विवरण	राष्ट्रीय स्तर प्रतिस्पर्धा के अन्तर्गत निविदा की तिथियाँ
1	संशोधित निविदा प्रकाशन की दिनांक	15.05.2026
2	प्रलेख डाउनलोड करने की दिनांक	16.05.2026
3	पृच्छा प्रारम्भ करने की दिनांक	17.05.2026
4	पृच्छा समाप्ति की अन्तिम दिनांक	28.05.2026
5	निविदा पूर्व बैठक की दिनांक	29.05.2026
6	पृच्छाओं का उत्तर	04.06.2026
7	निविदा जमा करने की प्रारम्भिक दिनांक	04.06.2026
8	निविदा जमा करने की अन्तिम दिनांक	19.06.2026
9	निविदा खोलने की दिनांक	20.06.2026
10	निविदा मूल्यांकन समाप्ति की दिनांक (तकनीकी एवं वित्तीय)	22.06.2026
11	कार्य आवंटन	प्रबन्ध निदेशक निर्णय से

बाह्यसेवा प्रदाता हेतु अनिवार्य अर्हताः-

1. बाह्य सेवा प्रदाता एजेंन्सी का ई0पी0एफ0ओ0 में नियोक्ता के रूप में वैध पंजीकरण होना अनिवार्य है तथा जिस विभाग में बाह्य सेवा प्रदाता द्वारा विगत 03 वर्षो से सेवायें प्रदान की जा रहीं हैं उस विभाग का अनुभव एवं ई0पी0एफ0 डिफाल्टर न होने का प्रमाण पत्र होना अनिवार्य होगा तथा निविदा के साथ संलग्न करना होगा।
2. ई0एस0आई0सी0 में नियोक्ता के रूप में वैध पंजीकरण होना अनिवार्य होगा तथा निविदा के साथ संलग्न करना होगा।
3. कम्पनी फर्म के रूप में पंजीकृत होने का प्रमाण पत्र।
4. बाह्य सेवाप्रदाता का जी0एस0टी0, पैन पंजीकरण, टैन पंजीकरण होना अनिवार्य होगा तथा निविदा के साथ संलग्न करना होगा।
5. उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली के नियम संख्या- 2.5.2 के अनुसार अधिप्राप्ति में क्रय या मूल्य वरियता के उपबन्धों के अधीन होगी। इस हेतु सम्बन्धित फर्म का उत्तराखण्ड राज्य एम0एस0एम0ई0 के अन्तर्गत सम्बन्धित श्रेणी में वैध पंजीकरण अनिवार्य होगा।
6. बाह्य सेवाप्रदाता का विगत 03 औसत वार्षिक टर्नओवर (वर्ष 2022-23, 2023-24 एवं 2024-25) 200 लाख होना अनिवार्य होगा तथा निविदा के साथ संलग्न करना होगा।

7. स्व–प्रमाणित घोषित नॉन ब्लैक लिस्टिंग सर्टिफिकेट, भौतिक रूप से कार्यालय के विगत 05 वर्षों से संचालन का प्रमाण पत्र।
8. तीन वर्षों का टर्नओवर का प्रमाण पत्र सी०ए० द्वारा सत्यापित होगा, यू०डी०आई०एन० नम्बर के साथ उपलब्ध कराया जाय।

निविदा शर्तेः–

1. बाह्य सेवा के माध्यम से सेवायें प्राप्त करने हेतु सील्ड निविदायें के तकनीकी प्रस्ताव तथा वित्तीय निविदा को अलग–अलग लिफाफे में सील बन्द किया जाना होगा, लिफाफे पर ऊपर ''तकनीकी निविदा'' और ''वित्तीय निविदा'' लिखा जाएगा तथा फर्म के नाम का भी उल्लेख करना होगा। इन दोनों सील बन्द लिफाफों को एक दूसरे बड़े लिफाफे में रखकर सील बन्द किया जाएगा जिस पर ''**आउटसोर्स से सेवा प्रदान करने के लिए निविदा**'' तथा फर्म का नाम व पता सहित लिखा जाना होगा।

2. निविदा के सीलबंद लिफाफे को **'प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड वन विकास निगम, 73 नेहरू रोड़, देहरादून पिन–248001'** के पते पर पंजीकृत डाक, स्पीड पोस्ट, कोरियर या व्यक्तिगत रूप से या पत्र वाहक के माध्यम से निर्धारित अन्तिम तिथि से पूर्व प्रेषित किया जाना होगा। अन्तिम तिथि के उपरान्त प्राप्त निविदा लिफाफे को नहीं खोला जायेगा।

3. **निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि व समयः**– दिनांक 19.06.2026 अपरान्ह 04:00 बजे तक होगी।

4. **निविदा प्रपत्रों की उपलब्धता**– निविदा प्रपत्र एवं इसकी शर्तें/निर्देश उत्तराखण्ड़ वन विकास निगम की वेबसाईट **www.uafdc.in/tenders.html** पर उपलब्ध है। इच्छुक फर्म/निविदादाता इसे डाउनलोड कर प्राप्त कर सकते हैं।

5. **तकनीकी एवं वित्तीय निविदा से सम्बन्धित कुछ मुख्य शर्तेः**– तकनीकी निविदा के साथ रू. 75,000/– (रूपये पिछहत्तर हजार) का जमानत धनराशि बैंक एफ.डी.आर. के रूप में संलग्न करना होगा जो **'प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड वन विकास निगम, देहरादून'** के नाम बंधक होगी। बन्धक धनराशि एफ.डी.आर. राष्ट्रीयकृत बैंक की होगी। जिसकी बैधता दिनांक 31.03.2027 तक की होगी। बिना जमानत निविदा स्वीकार नहीं होगी।

6. सफल निविदादाता द्वारा किसी भी समय सेवा देने से मना करने या निविदा में दी गई सूचनाओं/प्रमाणपत्रों आदि के असत्य पाये जाने की स्थिति में निविदादाता का अनुबन्ध निरस्त करते हुए जमानत धनराशि जब्त कर ली जाएगी। सफल निविदादाता का जमानत धनराशि को उनके सिक्योरिटी डिपोजिट के रूप में समायोजित किया जा सकेगा।

7. वित्तीय निविदा में एक, कुछ या समस्त श्रेणी की सेवाओं के लिए एक समान सेवा शुल्क दर भरा जाएगा। विभिन्न श्रेणी की सेवाओं के लिये अलग–अलग सेवा शुल्क दर मान्य नहीं होगा एवं ऐसी निविदा को निरस्त कर दिया जाएगा। **निविदा में सेवा शुल्क दर स्पष्ट रूप से अंको व शब्दों में लिखना होगा। इसमें किसी प्रकार की कटिंग/ओवर राईटिंग सफेदा आदि मान्य नहीं होगा।**

8. **<u>निविदा खोलने की तिथि एवं स्थान</u>:–** निर्धारित समय तक प्राप्त निविदाएँ दिनांक 20.06.2026 को उत्तराखण्ड वन विकास निगम, 73 नहेरू रोड़, देहरादून के सभागार कक्ष में उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोला जाएगा। निविदादाता, निविदा खोलते समय उपस्थित रह सकते हैं।

9. सर्वप्रथम तकनीकी निविदा खोली जाएगी। निविदा में उल्लिखित समस्त विशिष्टियों एवं संलग्न अरनेस्ट–मनी का विवरण स्पष्ट रूप से उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष पढ़कर सुनाया जायेगा। इसके बाद तकनीकी निविदा का मूल्यांकन विभागीय समिति द्वारा निविदा विशिष्टियों के लिए निर्धारित किये गए अंकों के आधार पर किया जाएगा। तकनीकी निविदा में सफल निविदादाताओं को उनके सफल होने की सूचना नोटिसबोर्ड पर चस्पा कर दी जाएगी।

10. वित्तीय निविदा दिनांक 20.06.2026 को अरण विकास भवन, 73 नहेरू रोड़, देहरादून के सभागार में खोली जाएंगी। वित्तीय निविदा केवल उन्ही निविदादाताओं की खोली जाएगी जो तकनीकी निविदा में सफल होंगे। शेष वित्तीय निविदा बिना खोले हुए सम्बन्धित को वापस कर दी जाएगी।

11. तकनीकी निविदा मूल्यांकन में एक से अधिक निविदा के प्राप्त अंक एक ही होने की स्थिति में इनका चयन की वरीयता निम्नानुसार निर्धारित होगी–

(i) उत्तराखण्ड़ सरकार का उपक्रम।

(ii) उत्तराखण्ड़ में पंजीकृत संस्था/फर्म/ईकाई।

(iii) उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली के नियम संख्या–2.5.5 में पात्रता की शर्तों के आधार पर।

(iv) जिसका टर्नओवर अधिक होगा।

(v) उत्तराखण्ड में सरकारी विभागों में कार्य का अनुभव के आधार पर।

(vi) सिक्के के टॉस द्वारा।

12. वाह्य सेवा से सेवा उपलब्ध कराने वाली कम्पनी की जिम्मेदारी होगी कि किसी सेवा हेतु उपलब्ध कराए जा रहे व्यक्ति की योग्यता/प्रमाणपत्रों की भली भांति जांच कर लें। उनके पुलिस जांच/अपराधिक मामले आदि की जांच कर इनके अच्छे आचरण होने का प्रमाणपत्र उपलब्ध करायेंगे।

13. वर्तमान में वाह्य सेवा से प्राप्त की जानी वाले विभिन्न सेवाओं हेतु उत्तराखण्ड वन विकास निगम प्रबन्ध मण्डल द्वारा निर्धारित पारिश्रमिकी का विवरण श्रेणीवार (अकुशल, अर्द्धकुशल, कुशल, औसत कुशल, उच्च कुशल एवं सर्वर प्रशासक) **संलग्नक–01** के रूप में संलग्न है। निर्धारित पारिश्रमिकी की दरें पुनरीक्षित करने का अधिकार प्रबन्ध मण्डल अथवा प्रबन्ध निदेशक के निर्देशानुसार होगा। निर्धारित दर पर ही पारिश्रमिकी का भुगतान किया जाना अनिवार्य होगा।

14. बाह्यसेवा प्रदाता को निविदा फार्म में सर्विस चार्ज की दर कुल पारिश्रमिकी (बेसिक वेजिज, गेच्युटी, अन्य भत्तों सहित) तथा नियोक्ता ई0पी0एफ0 एवं ई0एस0आई0सी0 सहित कुल योग के प्रतिशत के रूप में सर्विस चार्ज की दर/निविदा दर निविदा प्रपत्र में उपलब्ध करानी होगी।

15. निविदादाता द्वारा वित्तीय निविदा में एक, कुछ या समस्त सेवाओं के लिए एक समान सेवा शुल्क प्रतिशत दर शब्दों एवं अंकों में स्पष्ट रूप से लिखा जाएगा। इसमें किसी प्रकार की ओवर–राईटिंग एवं कटिंग/सफेदा आदि मान्य नहीं होगा एवं ऐसी निविदा को निरस्त कर दिया जाएगा। शब्दों एवं अंकों में लिखी दर में भिन्नता होने की स्थिति में शब्दों में लिखी दर मान्य होगी।

16. उत्तराखण्ड वन विकास निगम को निविदा खोलने की तिथि व समय में परिवर्तन करने का अधिकार होगा जिसकी पूर्व सूचना विभागीय नोटिस बोर्ड तथा वन विकास निगम की वेबसाईट पर दी जाएगी।

17. प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड वन विकास निगम, देहरादून बिना कारण बताए आहूत निविदा को निरस्त करने हेतु स्वतंन्त्र होंगे।

18. बाह्यसेवा प्रदाता द्वारा सशर्त निविदा स्वीकार नहीं की जाएगी।

19. सफल निविदादाताओं द्वारा वन विकास निगम को सेवा उपलब्ध कराने के दौरान विभिन्न सम्बन्धित विभागों जैसे– आयकर, श्रम विभाग, ई.पी.एफ.ओ., ई0एस0आई0सी0, जी.एस.टी. आदि द्वारा निर्धारित कानून नियम एवं दिशा निर्देशों का पालन करना होगा।

20. सफल निविदादाता द्वारा सेवा प्रदान करने के सम्बन्ध में एक अनुबन्ध उत्तराखण्ड वन विकास निगम के साथ निर्धारित शर्तों एवं नियमों के अधीन निर्धारित स्टाम्प ड्यूटी का भुगतान कर करना होगा। समस्त श्रेणी की सेवाओं के लिए एक ही अनुबन्ध होगा।

21. <u>**जमानत धनराशि**</u>:– सफल निविदादाता द्वारा रू. 1,50,000.00 (रू. एक लाख पचास हजार) का राष्ट्रीयकृत बैंक का एफ.डी.आर. सिक्योरिटी डिपोजिट के रूप में जमा करनी होगी। यह एफ.डी.आर. **'प्रबन्ध निदेशक,**

उत्तराखण्ड वन विकास निगम, देहरादून' के नाम बन्धक होगीं। सेवा प्रदाता के सेवा उपलब्ध कराने हेतु की गयी अनुबन्ध की समय सीमा समाप्त होने पर सेवा प्रदाता की किसी प्रकार की बकाया आदि हो उसका समायोजन करते हुए वापस कर दी जाएगीं।

22. वाह्य सेवा योजक के अधिकृत अधिकारी द्वारा निविदा पर हस्ताक्षर किया जाएगा तथा मुहर के साथ अपना नाम, पदनाम, पता, ई.–मेल, फोन आदि मुहर सहित स्पष्ट रूप से लिखा जाएगा।

23. उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा सेवाओं की आपूर्ति हेतु मांग करने पर मांग शर्तों के अनुसार सेवाऐं उपलब्ध करानी होगीं, जिस हेतु कोई सर्विस चार्ज में कोई अतिरिक्त वृद्धि की मांग बाह्य सेवा प्रदाता नहीं करेगा।

24. निविदादाता द्वारा समस्त निविदा प्रपत्रों पर अपने फर्म के मुहर सहित हस्ताक्षर करेंगे तथा निविदा के साथ संलग्न अभिलेखों/ प्रमाण प्रपत्रों के पृष्ठभाग पर अपना हस्ताक्षर नाम, पता व मुहर सहित करना होगा।

25. प्रथम पक्ष एवं द्वितीय पक्ष में मध्य विवाद की स्थिति में प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा मध्यस्थता स्वरूप विवाद का निपटारा किया जायेगा, यदि विवाद का समाधान नहीं होता है तो देहरादून स्थित सक्षम न्यायालय में वाद योजित किया जा सकता है।

26. कोई भी पक्ष अपने दायित्वों को पूरा करने में किसी भी विफलता (failure to perform) के लिए उत्तरदायी नहीं होगा, यदि ऐसा किसी अप्रत्याशित परिस्थितियों या पक्ष के उचित नियंत्रण से परे के कारणों के कारण हुआ है, जिसमें बिना सीमा के दैवीय घटनाएं युद्ध, दंगा, एम्बार्गो (व्यापार प्रतिबंध) नागरिक या सैन्य अधिकारियों के कृत्य शामिल है।

27. निविदा फार्म का शुल्क 1000/– तथा 18 प्रतिशत जी0एस0टी0 अतिरिक्त जमा करना होगा। ऑन लाईन फार्म के माध्यम से उपलब्ध करायी गयी निविदा के साथ निविदा फार्म का शुल्क 1000/– तथा 18 प्रतिशत जी0एस0टी0 अतिरिक्त का बैंक ड्राफ्ट संलग्न करना होगा, यह बैंक ड्राफ्ट **'प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड वन विकास निगम, देहरादून'** के नाम होगा ।

क्षेत्रीय प्रबन्धक (मु0),
उत्तराखण्ड वन विकास निगम, देहरादून

<u>Format of financial Bid</u>

(To be filed on firm's letter pad)

1. Name of the agency / firm / person: -
2. Address including telephone and email. :-
3. In order to provide the services of the personnel employed by our organization the following percentage of their salary will be taken as service fee.

....

(In Figures)   (In words)

Note: GST will be payable as per prevalent rules.

Place:

Date: Signature with Seal

Format of financial Bid

वित्तीय निविदा का प्रारूप

(To be filed on firm's letter pad)

(सेवाफर्म के लेटर पैड पर भरा जायेगा)

4. Name of the agency / firm / person: -
   एजेंसी / फर्म / व्यक्ति का नाम :-

5. Address including telephone and email. :-
   टेलीफोन और ईमेल सहित पता :-

6. In order to provide the services of the personnel employed by our organizationthe following percentage of their salary will be taken as service fee.

   हमारे फर्म द्वारा नियोजित कर्मियों की सेवा प्रदान करने के लिए उनके वेतन का निम्नलिखित प्रतिशत सेवा शुल्क के रूप में लिया जाएगा.

……………… ……………………………………………………………

(In Figures) (In words)

(अंकों में) (शब्दों में)

Note: The percentage and amount of GST (as applicable) will be payable separately.
नोट: GST का प्रतिशत और राशि (लागू नियमो के अनुसार) अलग से देय होगी

Place:
स्थान:

Date:
दिनांक :

Signature with Seal
(मुहर सहित हस्ताक्षर)

TECHNICAL PROPOSAL

(To be typed on firm's letter pad)

1. Detail of FDR: ....(FDR to be attached)
2. EPF Registration No..(Photocopy of registration letter to be enclosed)
3. ESI Registration No. .... (Photocopy of the registration letter to be enclosed).
4. GST Registration No.. (Photocopy of the registration letter to be enclosed).
5. Labour Department Registration No.-.. (Photocopy of the registration letter to be enclosed).
6. Firm's PAN number / TAN number (Photocopy to be enclosed):
7. Experience as an external service provider :

Declaration

I certify that the above information is correct and true to the best of my knowledge. In future, if the above information is found to be false, I / we may be blacklisted.

Place:
Date:

Signature with Seal

TECHNICAL PROPOSAL

तकनीकी निविदा का प्रारूप

(To be typed on firm's letter pad)

(सेवा फर्म के लेटर पैड पर भरा जायेगा)

8. Detail of FDR:
   एफ.डी.आर संख्याः..................., दिनांक ....बैंक का नाम ....
   ....धनराशि..............................(FDR to be attached) एफ.डी.आर. संलग्न किया जाना है।
9. EPF Registration No. ई.पी.एफ. पंजीयन संख्या.........................(Photocopy of registration letter to be enclosed) पंजीयन पत्र की छायाप्रति संलग्न।
10. ESI Registration No. ई.एस.आई. पंजीयन संख्या .... (Photocopy of the registration letter to be enclosed). पंजीयन पत्र की छायाप्रति संलग्न।
11. GST Registration No. जी.एस.टी. पंजीयन संख्या......................... (Photocopy of the registration letter to be enclosed). पंजीयन पत्र की छायाप्रति संलग्न।
12. Labour Department Registration No. श्रम विभाग पंजीयन संख्या.......... (Photocopy of the registration letter to be enclosed). पंजीयन पत्र की छायाप्रति संलग्न।
13. Firm's PAN number / TAN number (Photocopy to be enclosed): फर्म के पैन/टैन कार्ड की छायाप्रति संलग्न।
14. Experience as an external service provider: वाह्य सेवायोजक के तौर पर अनुभवः
   (अनुभव प्रदर्शन करने के लिये राज्य सरकार के विभागों के आपूर्ति आदेश एवं ई.पी.एफ.ओ/ई.एस.आई. को जमा की गयी चालान की प्रति उपलब्ध करायी जा सकती है। निजी कम्पनियों द्वारा कार्य आदेश के साथ-साथ अनुबन्ध पत्र की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा)

Declaration

घोषणा

I certify that the above information is correct and true to the best of my knowledge. In future, if the above information is found to be false, I / we may be blacklisted.

मै प्रमाणित करता हूँ कि उपरोक्त सूचना मेरी/हमारी जानकारी के अनुसार सही है। भविष्य में यदि उक्त सूचना त्रुटिपूर्ण पायी जाती है तो मुझे/हमें काली सूची में दर्ज किया जा सकता है।

Place:
स्थानः
Date:
दिनांकः

Signature with Seal
(मुहर सहित हस्ताक्षर)

(2)

संलग्नक-1

सफाई कर्मी, माली (अकुशल)

प्रबन्ध निदेशक का पत्रांक सं० 2466 दि० 28-8-23

प्रबन्ध मण्डल का निर्णय मद सं० -19 (6.B-76th)

	मानदेय / कटौति का विवरण	पारिश्रमिकी का विवरण (उपनल की दरों पर)	10 वर्ष तक के अनुभव पर देय प्रोत्साहन / विशेष भत्ता राशि	योग	10 वर्ष से अधिक के अनुभव पर देय प्रोत्साहन / विशेष भत्ता राशि	योग
	Basic Wages	8352	4800	13152	5800	14152
	Gratuity 4.81% of Ser4 No 1	402		402		402
3	House Allowance 10% of Ser 1	835		835		835
4	Clothing Allowance 10% of Ser 1	835		835		835
5	Bonus 8.33% of Rs 7000	583		583		583
6	**Total (Ser 1 to 5)**	**11007**	**4800**	**15807**	**5800**	**16807**
7	EPF 13% of Ser 1 (Employer Share)	1086		1086		1086
8	ESIC 3.25 % of Ser 6 (Where Applicable)	358	156	514	189	547
9	**Total (Ser 6+7+8)**	**12451**	**4956**	**17407**	**5989**	**18440**
10	EPF 13% of Ser 1 (Employer Share)	1086		1086		1086
11	ESIC 3.25% of Ser 6 (Where Applicable)	358	156	514	189	547
12	EPF 12% (Employees share)	1002		1002		1002
13	ESIC 0.75% of Ser 6 Employee's Share (Where Applicable)	83		83		83
14	**Total Deductions (Ser 10+11+12+13)**	**2529**	**156**	**2685**	**189**	**2718**
15	**Net in hand to Employees (Ser 9-14)**	**9922**	**4800**	**14722**	**5800**	**15722**
16	Leave Relief 28.98% of Ser No 9 (Where applicable)			0		0
17	Service Charge 2.5% of Ser 9	311	124	435	150	461
18	**Total (Ser 9+17)**	**12762**	**5080**	**17842**	**6139**	**18901**
19	GST 18% of Ser 18	2297	914	3211	1105	3402
20	Total Payable by Principal Employer (Ser No 18+19)	**15059**	**5994**	**21053**	**7244**	**22303**

(श्याम सिंह रावत)
प्रशासनिक अधिकारी
कार्या०–क्षे०प्र० (प०क्षे०)
देहरादून।
सदस्य

(महेन्द्र सिंह)
लेखा प्रबन्धक (टिहरी क्षेत्र)
उ०व०वि०नि०, देहरादून।
सदस्य

(पी०के० गुप्ता)
लेखा प्रबन्धक (मु०)
उ०व०वि०नि०, देहरादून।
सदस्य

(सत्यपाल सिंह रावत)
प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक
उ०व०वि०नि०, टौन्स।
सदस्य

(अनूप सिंह रौतेला)
अध्यक्ष/
प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक
देहरादून।

(3)

संलग्नक -1

M.D Lt No= 2466 date=28-8-23

कर्मकार/खलासी/कुक/रक्षक (अर्द्ध कुशल)

	मानदेय/कटौति का विवरण	पारिश्रमिकी का विवरण (उपनल की दरों पर)	10 वर्ष तक के अनुभव पर देय प्रोत्साहन/विशेष भत्ता राशि	योग	10 वर्ष से अधिक के अनुभव पर देय प्रोत्साहन/विशेष भत्ता राशि	योग
1	Basic Wages	9610	4800	14410	5800	15410
2	Gratuity 4.81% of Ser4 No 1	462	0	462	0	462
3	House Allowance 10% of Ser 1	961	0	961	0	961
4	Clothing Allowance 10% of Ser 1	961	0	961	0	961
5	Bonus 8.33% of Rs 7000	583	0	583	0	583
6	**Total (Ser 1 to 5)**	**12577**	**4800**	**17377**	**5800**	**18377**
7	EPF 13% of Ser 1 (Employer Share)	1249	0	1249	0	1249
8	ESIC 3.25 % of Ser 6 (Where Applicable)	409	156	565	189	598
9	**Total (Ser 6+7+8)**	**14235**	**4956**	**19191**	**5989**	**20224**
10	EPF 13% of Ser 1 (Employer Share)	1249	0	1249	0	1249
11	ESIC 3.25% of Ser 6 (Where Applicable)	409	156	565	189	598
12	EPF 12% (Employees share)	1153	0	1153	0	1153
13	ESIC 0.75% of Ser 6 Employee's Share (Where	94	0	94	0	94
14	**Total Deductions (Ser 10+11+12+13)**	**2905**	**156**	**3061**	**189**	**3094**
15	**Net in hand to Employees (Ser 9-14)**	**11330**	**4800**	**16130**	**5800**	**17130**
16	Leave Relief 28.98% of Ser No 9 (Where applicable)	0	0	0	0	0
17	Service Charge 2.5% of Ser 9	356	124	480	150	506
18	**Total (Ser 9+17)**	**14591**	**5080**	**19671**	**6139**	**20730**
19	GST 18% of Ser 18	2626	914	3540	1105	3731
20	**Total Payable by Principal Employer (Ser No 18+19)**	**17217**	**5994**	**23211**	**7244**	**24461**

(श्याम सिंह रावत)
प्रशासनिक अधिकारी
कार्या0–क्षे0प्र0 (टि0क्षे0)
देहरादून।
सदस्य

(महेन्द्र सिंह)
लेखा प्रबन्धक (टिहरी क्षेत्र)
उ0व0वि0नि0, देहरादून।
सदस्य

(पी0के0 गुप्ता)
लेखा प्रबन्धक (मु0)
उ0व0वि0नि0, देहरादून।
सदस्य

(सत्यप्रकाश सिंह रावत)
प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक
उ0व0वि0नि0, टौन्स।
सदस्य

(अनूप सिंह रौतेला)
अध्यक्ष/
प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक
देहरादून।

(4)

संलग्नक-1

6 वर्ष से कम सेवा वाले कार्मिक

0एस0 आपरेटर, सहायक लेखाकार, आशुलिपिक, कार्यालय सहायक, कम्प्यूटर आपरेटर विद्युत तकनीशियन, चालक (औसत कुशल) वेतन का निर्धारण कुशल एवं उच्च कुशल का औसत निकालकर किया गया है।

M.D Letter No-2466 dt 28/8/23

क्र.	मानदेय/कटौति का विवरण	पारिश्रमिकी का विवरण (उपनल की दरों पर)	10 वर्ष तक के अनुभव पर देय प्रोत्साहन/विशेष भत्ता राशि	योग
1	Basic Wages	11270	4800	16070
2	Gratuity 4.81% of Ser4 No 1	542	0	542
3	House Allowance 10% of Ser 1	1127	0	1127
4	Clothing Allowance 10% of Ser 1	1127	0	1127
5	Bonus 8.33% of Rs 7000	583	0	583
6	**Total (Ser 1 to 5)**	14649	**4800**	**19449**
7	EPF 13% of Ser 1 (Employer Share)	1465	0	1465
8	ESIC 3.25 % of Ser 6 (Where Applicable)	476	156	632
9	**Total (Ser 6+7+8)**	16590	**4956**	**21546**
10	EPF 13% of Ser 1 (Employer Share)	1465	0	1465
11	ESIC 3.25% of Ser 6 (Where Applicable)	476	156	632
12	EPF 12% (Employees share)	1352	0	1352
13	ESIC 0.75% of Ser 6 Employee's Share (Where Applicable)	110	0	110
14	**Total Deductions (Ser 10+11+12+13)**	3403	**156**	**3559**
15	**Net in hand to Employees (Ser 9-14)**	13187	**4800**	**17987**
16	Leave Relief 28.98% of Ser No 9 (Where applicable)	0	0	0
17	Service Charge 2.5% of Ser 9	415	124	539
18	**Total (Ser 9+17)**	17005	**5080**	**22085**
19	GST 18% of Ser 18	3061	914	3975
20	Total Payable by Principal Employer (Ser No 18+19)	20066	**5994**	**26060**

(श्याम सिंह रावत)
प्रशासनिक अधिकारी
कार्या0 क्षे0प्र0 (टि0क्षे0)
देहरादून।
सदस्य

(महेन्द्र सिंह)
लेखा प्रबन्धक (टिहरी क्षेत्र)
उ0व0वि0नि0, देहरादून।
सदस्य

(पी0के0 गुप्ता)
लेखा प्रबन्धक (मु0)
उ0व0वि0नि0, देहरादून।
सदस्य

(सत्यपाल सिंह रावत)
प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक
उ0व0वि0नि0, टौन्स।
सदस्य

(अनूप सिंह रौतेला)
अध्यक्ष /
प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक
उत्तराखण्ड वन विकास निगम
देहरादून।

संलग्नक-1

(5)

MD Letter No = 2466 dt = 28-8-23

अनुभवी कार्मिक (06 वर्ष से अधिक की सेवा पूर्ण करने वाले कार्मिक)

के0एम0एस0 आपरेटर, सहायक लेखाकार, आशुलिपिक, कार्यालय सहायक, कम्प्यूटर आपरेटर विद्युत तकनीशियन, चालक (उच्च कुशल)

क्र.सं.	मानदेय/कटौति का विवरण	पारिश्रमिकी का विवरण (उपनल की दरों पर)	10 वर्ष तक के अनुभव पर देय प्रोत्साहन/विशेष भत्ता राशि	योग	10 वर्ष से अधिक के अनुभव पर देय प्रोत्साहन/विशेष भत्ता राशि	योग
1	Basic Wages	11870	4800	16670	5800	17670
2	Gratuity 4.81% of Ser4 No 1	571	0	571	0	571
3	House Allowance 10% of Ser 1	1187	0	1187	0	1187
4	Clothing Allowance 10% of Ser 1	1187	0	1187	0	1187
5	Bonus 8.33% of Rs 7000	583	0	583	0	583
6	**Total (Ser 1 to 5)**	**15398**	**4800**	**20198**	**5800**	**21198**
7	EPF 13% of Ser 1 (Employer Share)	1543	0	1543	0	1543
8	ESIC 3.25 % of Ser 6 (Where Applicable)	500	156	656	189	689
9	**Total (Ser 6+7+8)**	**17441**	**4956**	**22397**	**5989**	**23430**
10	EPF 13% of Ser 1 (Employer Share)	1543	0	1543	0	1543
11	ESIC 3.25% of Ser 6 (Where Applicable)	500	156	656	189	689
12	EPF 12% (Employees share)	1424	0	1424	0	1424
13	ESIC 0.75% of Ser 6 Employee's Share (Where Applicable)	115	0	115	0	115
14	**Total Deductions (Ser 10+11+12+13)**	**3582**	**156**	**3738**	**189**	**3771**
15	**Net in hand to Employees (Ser 9-14)**	**13859**	**4800**	**18659**	**5800**	**19659**
16	Leave Relief 28.98% of Ser No 9 (Where applicable)	0	0	0	0	0
17	Service Charge 2.5% of Ser 9	436	124	560	150	586
18	**Total (Ser 9+17)**	**17877**	**5080**	**22957**	**6139**	**24016**
19	GST 18% of Ser 18	3218	914	4132	1105	4323
20	Total Payable by Principal Employer (Ser No 18+19)	**21095**	**5994**	**27089**	**7244**	**28339**

(श्याम सिंह रावत)
प्रशासनिक अधिकारी
कार्या0-क्षे0प्र0 (टि0क्षे0)
देहरादून।
सदस्य

(महेन्द्र सिंह)
लेखा प्रबन्धक (टिहरी क्षेत्र)
उ0व0वि0नि0, देहरादून।
सदस्य

(पी0के0 गुप्ता)
लेखा प्रबन्धक (मु0)
उ0व0वि0नि0, देहरादून।
सदस्य

(सत्यपाल सिंह रावत)
प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक
उ0व0वि0नि0, टौन्स।
सदस्य

(अनूप सिंह रौतेला)
अध्यक्ष/
प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक
उत्तराखण्ड वन विकास निगम
देहरादून।

संलग्नक-1

उत्तराखण्ड वन विकास निगम

प्रधान कार्यालय – अरण्य विकास भवन, 73 नेहरु रोड, देहरादून

दूरभाष :–0135–2657610, फैक्स :–0135–2655488, ई–मेल: vanvikas12@gmail.com

पत्रांक ई0- 1376 /अधिष्ठान, दिनांक : 16/6/ 2025

सेवा में,

क्षेत्रीय प्रबन्धक (टि0क्षे0, ग0क्षे0, प0क्षे0, कु0क्षे0),
उत्तराखण्ड वन विकास निगम,
देहरादून, कोटद्वार एवं रामनगर, हल्द्वानी।

विषयः– **उत्तराखण्ड वन विकास निगम में वाह्य सेवायोजक के माध्यम से योजित फील्ड सहायक की पारिश्रमिकी के सम्बन्ध में।**

सन्दर्भ :– **इस कार्यालय का पत्रांक–ई0– 1088/अधिष्ठान दिनांक 28.05.2025.**

महोदय,

उपरोक्त विषयक क्रम में अवगत कराना है कि उत्तराखण्ड शासन की पत्र संख्या–735/XVII–5/2020–09 (17)/2004–TC–1, दिनांक 21 अगस्त, 2020 द्वारा नियत मानदेय के अनुसार कुशल श्रेणी की पारिश्रमिकी का विवरण निर्धारित है (छायाप्रति संलग्न) तथा उत्तराखण्ड शासन की पत्र संख्या–654/XVII–C–1/2023–09 (17)/2004–TC–2, दिनांक 10 मई, 2020 द्वारा प्रतिमाह देय प्रोत्साहन भत्ता निर्धारित है (छायाप्रति संलग्न)।

अतः उक्त शासनादेशों के आलोक में कुशल श्रेणी के कार्मिकों की पारिश्रमिकी का भुगतान नियमानुसार करने हेतु अग्रेत्तर कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

संलग्नकः–उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(महेश चन्द्र आर्य),
क्षेत्रीय प्रबन्धक (मु0)।

उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लि0 (उपनल)
Uttarakhand Purv Sainik Kalyan Nigam Ltd. (UPNL)
(Undertaking of Uttarakhand Government)
(CIN-U91200UR2004PLC028357)
Andaman Road,Gathi Cantt Dehradun -248003, Ph: 0135-2752178,0135-2750913, Fax: 01352754041
Website - www.upnl.co.in, E-mail : billing@upnl.net, salary@upnl.net, salary@upnl.co.in, info@upnl.co.in

पंत्राक : 1050 / नियमावली / उपनल 12 मई 2023

सेवा में,

समस्त विभाग
उत्तराखण्ड।

विषय : उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लि0(उपनल) के माध्यम से प्रायोजित कार्मिकों को त्रैमासिक आधार पर अनुमन्य प्रोत्साहन भत्ते की धनराशि को प्रतिमाह भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

1. कृपया उपरोक्त विषयक उत्तराखण्ड शासनादेश संख्या 654//XVII-C-1/2023-9(17)/2004 टी0सी0–2 दिनांक 10 मई 2023 (छायाप्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लि0(उपनल) के माध्यम से राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में प्रायोजित संविदा कार्मिकों को तीन माह के स्थान पर आनुपातिक रूप से प्रतिमाह "प्रोत्साहन भत्ते" की धनराशि को भुगतान करने के आदेश पारित किये गये है।

2. तदानुसार उपनल द्वारा प्रायोजित संविदा कार्मिकों को उत्तराखण्ड शासनादेश 735/XVII-5/ 2020-09(17)/ 2004-TC-1 दिनांक 21 अगस्त 2020 में दिये गये वेतन एवं शासनादेश संख्या 654//XVII-C-1/2023-9(17)/2004 टी0सी0–2 दिनांक 10 मई 2023 में दिये गये प्रोत्साहन भत्ते का भुगतान संयुक्त रूप से मई 2023 से प्रतिमाह किया जायेगा। तदकम में वेतन एवं प्रोत्साहन भत्ते का संयुक्त बीजक, विभागों द्वारा उपलब्ध कराई गई उपस्थिति के आधार पर विभागों को प्रतिमाह उपलब्ध कराया जायेगा। उक्त संदर्भ में विभागों से अनुरोध है कि वे कार्मिकों की उपस्थिति का विवरण निम्न आधार पर पृथक–पृथक उपलब्ध करायें:–

(क) कार्मिक (सेवाकाल 10 वर्ष तक के अनुभव पर) की उपस्थिति।

(ख) कार्मिक (सेवाकाल 10 वर्ष से अधिक के अनुभव पर) की उपस्थिति।

3. अप्रैल 2023 तक के प्रोत्साहन भत्ते का बीजक पूर्व शासनादेश के आधार पर, विभागों द्वारा उपलब्ध कराई गई उपस्थिति के आधार पर विभागों को उपलब्ध कराया जायेगा।

4. कृपया उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

भवदीय,
(हस्ताक्षर)
कर्नल मनोज रावत (अ0प्रा0)
उपमहाप्रबन्धक

संलग्नक : (यथोपरि)।

प्रतिलिपि :–

अनु सचिव, सैनिक कल्याण अनुभाग उत्तराखण्ड शासन को सूचनार्थ हेतु प्रेषित।

क्षेत्रीय परियोजना कार्यालय हल्द्वानी को अनुपालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आंतरिक :–

समस्त अनुभाग, उपनल मुख्यालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(हस्ताक्षर)
कर्नल मनोज रावत (अ0प्रा0)
उपमहाप्रबन्धक

(1)

संख्या : 654/ XVII-C-1 / 2023–9(17) / 2004टी0सी0–2

प्रेषक

दीपेन्द्र कुमार चौधरी
सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में

1 समस्त अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव, उत्तराखण्ड शासन।

2 मण्डलायुक्त गढ़वाल / कुमाऊं मण्डल।

3 समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।

4 समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।

5 प्रबन्ध निदेशक
उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्याण
निगम लि0 (उपनल) देहरादून।

देहरादून : दिनांक : मई, 2023

सैनिक कल्याण अनुभाग

विषय :– **उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लि0 (उपनल) के माध्यम से प्रायोजित कार्मिकों को त्रैमासिक आधार पर अनुमन्य प्रोत्साहन भत्ते की धनराशि को प्रतिमाह भुगतान किये जाने के संबंध में।**

महोदय

उपर्युक्त विषयक कृपया शासनादेश संख्या 1929/XVII-C-1/2021–9(17)/2004 टी0सी0–2 दिनांक 06.01.2022 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लि0 (उपनल) के माध्यम से राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में प्रायोजित कार्मिकों को तीन माह के स्थान पर आनुपातिक रूप से प्रतिमाह "प्रोत्साहन भत्ते" की धनराशि को भुगतान करने के आदेश पारित किये गये हैं।

2– मा0 मंत्रिमण्डल द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.04.2023 के कम में उक्त शासनादेश दिनांक 06.01.2022 के प्रस्तर–1 में अंकित तालिका को संशोधित करते हुए, मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लि0 (उपनल) के माध्यम से राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में प्रायोजित कार्मिकों को तत्काल प्रभाव से तीन माह के स्थान पर आनुपातिक रूप से प्रतिमाह देय "प्रोत्साहन भत्ते" की धनराशि को निम्नानुसार भुगतान किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

क्र.सं.	विवरण	10 वर्ष तक के अनुभव पर देय प्रोत्साहन/विशेष भत्ता राशि	10 वर्ष से अधिक के अनुभव पर देय प्रोत्साहन/विशेष भत्ता राशि
1	कार्मिकों को देय प्रोत्साहन/विशेष भत्ता राशि	रूपये 4,800.00	रूपये 5,800.00
2	ई0एस0आई0 3.25 प्रतिशत (मुख्य नियोक्ता द्वारा देय)	रूपये 156.00	रूपये 189.00
3	योग (क.सं. 1 & 2)	रूपये 4,956.00	रूपये 5,989.00
4	सर्विस चार्ज 2.5 प्रतिशत (क.सं. 3 का)	रूपये 124.00	रूपये 150.00
5	योग (क.सं. 3 & 4)	रूपये 5,080.00	रूपये 6,139.00
6	G.S.T. 18 प्रतिशत (क.सं. 5 का)	रूपये 914.00	रूपये 1,105.00
7	मुख्य नियोक्ता द्वारा देय कुल राशि का योग (क. सं. 5 & 6 का)	**रूपये 5,994.00**	**रूपये 7,244.00**

3 – शासनादेश संख्या–1929 दिनांक 06.01.2022 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाए तथा उक्त के शेष प्रतिबंध/शर्तें यथावत् लागू रहेंगी।

4— यह आदेश वित्त विभाग के अशा0प0 संख्या–I/118063/2023(Computer No. 16329) दिनांक 28.04.2023 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय

Signed by Deependra Kumar Chaudhari
Date: 10-05-2023 12:44:30

(दीपेन्द्र कुमार चौधरी)
सचिव।

संख्या : / XVII-C-1 / 2023–9(17) / 2004टी0सी0–2, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1 वरिष्ठ निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन को माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थ।
2 वरिष्ठ निजी सचिव, सैनिक कल्याण मंत्री, उत्तराखण्ड शासन को माननीय मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
3 वरिष्ठ निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
4 महालेखाकार (उत्तराखण्ड) कौलागढ़, देहरादून।
5 समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी / कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6 अनुभाग अधिकारी, वित्त अनुभाग–1, 02 एवं 03, उत्तराखण्ड शासन।
7 अनुभाग अधिकारी, मंत्रिपरिषद अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
8 निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर।
9 गार्ड फाईल।

आज्ञा से

(सुनील कुमार सिंह)
उप सचिव।

Generated from eOffice by ARVIND KUMAR DIWAKAR, SO-Soldier Welfare Section-AKD, SECTION OFFICER, Soldier Welfare Department on 10/05/2023 06:11 PM

संलग्नक-1

संख्या 735 /XVII-5/2020-09(17)/2004-TC-1

प्रेषक,

राधा रतूड़ी,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

(i) **समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/** सचिव/प्रभारी सचिव, उत्तराखण्ड शासन।

(ii) **मण्डलायुक्त,** गढ़वाल/कुमाऊँ मण्डल, उत्तराखण्ड।

(iii) **समस्त जिलाधिकारी,** उत्तराखण्ड।

(iv) **समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष,** उत्तराखण्ड।

(v) **प्रबन्ध निदेशक,** उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लि० (उपनल), देहरादून।

सैनिक कल्याण विभाग देहरादून : दिनांक 21 अगस्त, 2020

विषय : उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लि० (उपनल) के माध्यम से प्रायोजित समस्त कार्मिकों के नियत मानदेय का पुनरीक्षण।

महोदय,

कृपया शासनादेश संख्या–323/XVII-3/13-09(17)/2004, दिनांक 12 जून, 2013 एवं तत्क्रम में निर्गत शासनादेश संख्या–500/XVII-5/2020-09(17)/2004-TC-1 दिनांक 05 मई, 2018 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लि० 'उपनल' के माध्यम से प्रायोजित समस्त कार्मिकों का नियत मानदेय एवं सेवा शर्तें निर्धारित की गई थी। इस सम्बन्ध में शासन स्तर पर सम्यक् विचारोपरान्त लिए गए निर्णयानुसार उपनल द्वारा प्रायोजित समस्त कार्मिकों को मानदेय (Basic Wages) तत्काल प्रभाव से निम्नवत् निर्धारित किये जाने का मुझे निदेश हुआ है:–

(धनराशि रू० में)

क्र. सं.	मानदेय/कटौती का विवरण	अकुशल	अर्द्ध कुशल	कुशल	उच्च कुशल	अधिकारी
1	Basic Wages	8352.00	9610.00	10670.00	11870.00	35610.00
2	Gratuity 4.81% of Ser No 1	402.00	462.00	513.00	571.00	0
3	House Allowance 10% of Ser 1	835.00	961.00	1067.00	1187.00	0
4	Clothing Allowance 10% of Ser 1	835.00	961.00	1067.00	1187.00	0
5	Bonus 8.33% of Rs 7000	583.00	583.00	583.00	583.00	0
6	**Total (Ser 1 to 5)**	**11007.00**	**12577.00**	**13900.00**	**15398.00**	**35610.00**
7	EPF 13 % of Ser 1 (Employer Share)	1086.00	1249.00	1387.00	1543.00	0
8	ESIC 3.25 % of Ser 6 (Where Applicable)	358.00	409.00	452.00	500.00	0
9	***Total (Ser 6+7+8)***	**12451.00**	**14235.00**	**15739.00**	**17441.00**	**35610.00**

Statury Deductions

10	EPF 13 % of Ser 1 (Employer Share)	1086.00	1249.00	1387.00	1543.00	0
11	ESIC 3.25% of Ser 6 (Where Applicable)	358.00	409.00	452.00	500.00	0
12	EPF 12% (Employee.s Share)	1002.00	1153.00	1280.00	1424.00	0
13	ESIC 0.75 % of Ser 6 Employee.s Share (Where Applicable)	83.00	94.00	104.00	115.00	0
14	***Total Deductions(Ser 10+11+12+13)***	**2529.00**	**2905.00**	**3223.00**	**3582.00**	**0**
15	**Net in hand to Employee (Ser 9-14)**	**9922.00**	**11330.00**	**12516.00**	**13859.00**	**35610.00**
16	Leave Relief 28.98% of Ser No 9(Where applicabe)					
17	Service Charge 2.5% of Ser 9	311.00	356.00	393.00	436.00	890.00
18	**Total (Ser 9+17)**	**12762.00**	**14591.00**	**16132.00**	**17877.00**	**36500.00**
19	GST 18% of Ser 18	2297.00	2626.00	2904.00	3218.00	6570.00
20	**Total Payable by Principal Employer(Ser No 18+19)**	**15059.00**	**17217.00**	**19036.00**	**21095.00**	**43070.00**

2. 2.5 प्रतिशत सर्विस चार्ज की दर केवल उत्तराखण्ड राज्य के भीतर राज्य सरकार एवं उसके प्रतिष्ठानों/संस्थाओं/निगमों आदि के लिए ही निर्धारित की जा रही है। अन्य स्तरों (भारत सरकार के सार्वजनिक क्षेत्रों आदि) हेतु सर्विस चार्ज की दरें पुनर्वास महानिदेशालय (DGR) भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय के निर्देशानुसार देय होगी।

3. सर्विस चार्ज, जी0एस0टी0, ई0एस0आई0, ई0पी0एफ0 की धनराशि केन्द्र सरकार द्वारा समय--समय पर पुनरीक्षित किए जाने पर उसी तिथि एवं दरो पर तदनुसार लागू होगी।

4. उपनल के कार्मिकों को यात्रा/दैनिक भत्ता, शासन की सहमति से उपनल द्वारा निर्धारित दरों के हिसाब से देय होगा। इस पर सर्विस चार्ज देय नही होगा, लेकिन जी0एस0टी0 (जी0एस0टी0 एक्ट) के मुताबिक देय होगा।

5. उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली–2017 के प्राविधान के अनुसार निविदा आमंत्रित करने की आवश्यकता नहीं है अर्थात् नियोक्ता विभाग उपनल से सीधे कार्मिक प्राप्त कर प्रायोजित कर सकते हैं। इस सम्बन्ध में शासनादेश संख्या–595/XVII-5/16-09(17)/2004, दिनांक 09 जून, 2016 व शासनादेश संख्या–685/XVII-5/16-09(17)/2004, दिनांक 05 जुलाई, 2016 एवं शासनादेश संख्या–424/XVII-5/18-06(02)/2018, दिनांक 12 अप्रैल, 2018 एवं उक्त कार्मिकों की सेवाओं के संबंध में शासनादेश संख्या–640/XVII-5/2020-09(26)/2014(TC), दिनांक 10 जुलाई, 2020 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

6. उपनल के कार्मिकों को साप्ताहिक अवकाश (रविवार अथवा जो भी दिन अनुमन्य हो), 03 राष्ट्रीय अवकाश (महात्मा गांधी जयन्ती, गणतंत्र दिवस एवं स्वतंत्रता दिवस) 12 दिन आकस्मिक और 15 दिन अर्जित अवकाश सवेतन लागू होंगे, उक्त अवकाश कलेण्डर वर्ष की समाप्ति पर लैप्स हो जायेंगे, किन्तु यदि कार्यालय अवकाश के दिन भी कार्य हेतु संचालित रहता है तथा अन्य कार्मिक भी सेवा हेतु उपस्थित रहते हैं तो उपनल के कार्मिक भी कार्य हेतु अपनी उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे।

7. उक्तानुसार उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लि0 (उपनल) द्वारा उपनल के माध्यम से प्रायोजित समस्त कार्मिकों को मुख्य नियोक्ता द्वारा देय पुनरीक्षित मानदेय के संबंध में मुख्य नियोक्ता एवं शासन को अवगत कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

8. इस संबंध में पूर्व में जारी शासनादेश संख्या–500/XVII-5/2018-09(17)/2004(TC-1), दिनांक 10 मई, 2018 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाय।

9. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–499/XXVII(7)/2020, दिनांक 20 अगस्त, 2020 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीया,

(राधा रतूड़ी)
अपर मुख्य सचिव।

पृष्ठांकन संख्या —— (1)/XVII-5/2020-09(17)2004-TC-1 : तद्दिनांक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार (ले0 एवं ह0), उत्तराखण्ड, महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून।
2. निजी सचिव–मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. स्टाफ ऑफिसर–मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. गोपन (मंत्रिपरिषद्) अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
5. वित्त (व्यय–नियंत्रण) अनुभाग–7, उत्तराखण्ड शासन।
6. समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, सचिवालय परिसर, उत्तराखण्ड, देहरादून।
8. आदेश पंजिका।

आज्ञा से,

(प्रदीप सिंह रावत)
अपर सचिव।

(1)

संलग्नक-1

तालिका–01

उत्तराखण्ड वन विकास निगम में बाह्य सेवा से योजित सर्वरप्रशासक की पारिश्रमिकी का विवरण

क्र0सं0	मानदेय/कटौति का विवरण	पारिश्रमिकी
1	Basic Wages	51558
2	Gratuity 4.81% of Ser 4 No 1	2480
3	**Total (Ser 1 to 2)**	54038
4	EPF 13% of ser 1 (Employer Share)	1950
5	ESIC 3.25 % of Ser 6 (Were Applicable)	0
6	**Total (Ser 6+7+8)**	55988
7	EPF 13% of ser 1 (Employer Share)	1950
8	ESIC 3.25 % of Ser 6 (Were Applicable)	0
9	EPF 12% of ser (Employer Share)	1800
10	ESIC 0.75% of Ser 6 Employee's Share (Where Applicable	0
11	**Total Deductions (Ser 7+9)**	3750
12	Net in hand to Employees (Ser 7-11)	52238
13	Leave Relief 28.98 OF Ser No 9 (Where applicable)	0
14	Service Charge 2.5% of Ser 9	1400
15	Total	57388
16	GST 18% of Ser 18	10330
17	**Total Payable by Principal Employer (Ser No 15+16)**	67718